तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 217/2019**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.10..2019 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् शासन उपसचिव जयपुर के आदेश कमांक प 19(12)शिक्षा–2/16 जयपुर दिनांक 06.09.19 की पालना में उपखण्ड अधिकारी लूणी के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति में पदस्थापित अध्यापक/अध्यापिकाएं को माह सितम्बर 2019 में कार्यमुक्त किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियमानुसार प्रमाणित सूची उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2020.01.11 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested